कार्यालय–निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः शिविरा/माध्य/म.गाँ.प्रकोष्ठ/66174/वॉक इन इन्टरव्यू/2025–26/(E-File 46571-2) **दिनांकः As in E-sign**

स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल विद्यालयों में (सत्र 2026–27) विभिन्न पदों हेतु विज्ञप्ति

राजस्थान सिविल सेवा (अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में कार्मिकों की नियुक्ति के लिए विशेष चयन और सेवा की विशेष शर्तें) नियम, 2023 के प्रावधानानुसार **राज्य में संचालित स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल विद्यालयों (एसवीजीएमएस) में चयन हेतु** रिक्त निम्नांकित पदों पर नियुक्ति हेतु विभाग के पदधारी शिक्षकों/कार्मिकों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं :–

क्र.सं.	पदनाम व विषय	क्र.सं.	पदनाम व विषय
1	प्राचार्य	6	अध्यापक, लेवल–1
2	प्राध्यापक (स्वीकृत विषय)	7	प्रयोगशाला सहायक ग्रेड–III
3	वरिष्ठ अध्यापक–हिन्दी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, तृतीय भाषा (संस्कृत/उर्दू/पंजाबी)	8	कम्प्यूटर लैब इंचार्ज
4	प्राध्यापक शारीरिक शिक्षा	9	वरिष्ठ सहायक
5	पुस्तकालयाध्यक्ष ग्रेड–II	10	कनिष्ठ सहायक

WhatsApp channel

* **शिक्षक/कार्मिक द्वारा अपने मूल पद व विषय के अनुसार ही आवेदन किया जावें।**

* **आवेदित शिक्षकों/कार्मिकों को लिखित परीक्षा/साक्षात्कार के माध्यम से चयनोपरान्त लगाया जायेगा।**

* स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल विद्यालयों (एसवीजीएमएस) में प्राध्यापक–जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, अर्थशास्त्र (साइंस स्ट्रीम), अंग्रेजी, गणित, भौतिक विज्ञान तथा Informatics Practice के विषय स्वीकृत है।

* स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल विद्यालयों में **Lecturer Informatics Practice के पद हेतु** विभाग में किसी भी विषय के व्याख्याता पद पर कार्यरत कम्प्यूटर योग्यता धारी (PGDCA, BCA, MCA,01 अथवा 02 वर्षीय कम्प्यूटर साइंस में डिप्लोमा या समकक्ष) द्वारा आवेदन किया जा सकेगा।

* स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल विद्यालयों में **कम्प्यूटर लैब इंचार्ज के पद हेतु** विभाग में कार्यरत बेसिक कम्प्यूटर अनुदेशक द्वारा आवेदन किया जा सकेगा।

<u>आवेदन की शर्तें व दिशा–निर्देश</u> :–

1- आवेदन पत्र **दिनांकः 14.01.2026 से 23.01.2026 मध्य रात्रि 12:00 बजे तक** शाला दर्पण पोर्टल पर स्टाफ लॉगिन के माध्यम से ऑनलाईन भरे जाएंगे।

2- **उपरोक्त संबंधित पद व विषय के आवेदकों द्वारा ऑनलाईन आवेदन में अन्य विवरण भरे जाने के साथ–साथ, <u>पदस्थापन हेतु केवल एक जिले का विकल्प भरा जाना है।</u>**

3- ऐसे आवेदक जिनके द्वारा पदस्थापन हेतु जिले का विकल्प आवेदन में नहीं किया जावेगा, तो उनके आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

4- **स्वामी विवेकानन्द मॉडल विद्यालयों/महात्मा गाँधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में पदस्थापन हेतु पूर्व में अपनाई गई किसी भी विशेष चयन प्रक्रियाओं से चयनोपरान्त पदस्थापित शिक्षक/कार्मिक उक्तानुसार आवेदन करने हेतु पात्र नहीं होंगे।**

5- स्वामी विवेकानन्द मॉडल विद्यालयों/महात्मा गाँधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में चयन हेतु पूर्व में किये गये आवेदन इस प्रक्रिया हेतु मान्य नहीं किये जायेंगे।

6- आवेदन करने हेतु विभाग के पदधारी शिक्षक/कार्मिक (वर्तमान में माध्यमिक एवं प्रारम्भिक शिक्षा में ही कार्यरत) ही पात्र होंगे। <u>अन्य विभाग/परियोजनाओं में प्रतिनियुक्ति के तहत कार्यरत शिक्षक/कार्मिक आवेदन करने हेतु पात्र नहीं होंगे।</u>

RajKaj Ref No.:
19801940
eSign DSC

7- **राज्य स्तर के पदों के अतिरिक्त** अन्य पदों हेतु अनुसूचित क्षेत्र के शिक्षकों/कार्मिकों के द्वारा केवल अनुसूचित क्षेत्र हेतु तथा गैर अनुसूचित क्षेत्र के शिक्षकों/कार्मिकों के द्वारा केवल गैर अनुसूचित क्षेत्र हेतु ही आवेदन किया जा सकेगा।

8- कार्मिक द्वारा वर्तमान पदस्थापित जिले का विकल्प दिये जाने पर, उस जिले में चयन/पदस्थापन हेतु 10 अतिरिक्त बोनस अंक देय होंगे।

9- विभाग द्वारा रिक्त पदों की उपलब्धता एवं आवश्यकतानुसार चयन/पदस्थापन किया जायेगा।

10- चयनित कार्मिक का पदस्थापन उसके मूल पद व विषय के अनुसार मॉडल विद्यालय के उसी रिक्त पद पर किया जाएगा।

11- मॉडल विद्यालयों में पदस्थापन हेतु अन्तिम रूप से चयन उक्त नियम, 2023 के प्रावधानों में उल्लिखित राज्य/मण्डल/जिला स्तर की सक्षम चयन समिति के द्वारा विभागाध्यक्ष के अनुमोदन के उपरान्त किया जायेगा।

12- आवेदनकर्त्ता से संबंधित सूचना शाला दर्पण के प्रपत्र–10 (P-10) से ली जायेगी, अतः आवेदनकर्त्ता आवेदन करने से पूर्व प्रपत्र–10 (P-10) को अद्यतन (update) संस्था प्रधान से करवाना सुनिश्चित करें।

13- जिन कार्मिकों के विरूद्व विभागीय जांच विचाराधीन है **अथवा** राजस्थान असैनिक सेवाऐं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के तहत् किसी भी प्रकार से दण्डित किया गया हो, वह चयन प्रक्रिया/पदस्थापन हेतु पात्र नही होगें।

14- आवेदन पत्र में कार्मिक द्वारा दी गई किसी भी प्रकार की सूचना गलत पाये जाने पर कार्मिक का आवेदन/पदस्थापन निरस्त कर उसके विरूद्व अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी।

15- **चयनित कार्मिकों का विद्यालयों में पदस्थापन Online काउंसलिंग प्रक्रिया से किया जाएगा।**

16- **विद्यालयवार व पदवार रिक्त पदों की सूची काउंसलिंग से पूर्व प्रकाशित की जाएगी।**

अन्य निर्देश :–

1. लिखित परीक्षा/साक्षात्कार की सम्भावित तिथि तथा चयन प्रक्रिया के संबंध में पृथक से अवगत करवाया जाएगा।.
2. परीक्षा केन्द्र तक आने जाने हेतु आवेदनकर्ता कार्मिक को किसी प्रकार का यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता या अन्य कोई भत्ता देय नहीं होगा।

सेवा की अन्य शर्तें :–

1. **आवेदित पदों पर चयन के पश्चात् कार्मिक को एक वर्ष की कालावधि के लिए पदस्थापित किया जा सकेगा,** जो प्रदत्त सेवाओं के प्रदर्शन के पुनर्विलोकन (Review) पश्चात् निदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट (Specified) प्रक्रिया द्वारा बढ़ायी जाने योग्य होगी। नियुक्ति प्राधिकारी का किसी कार्मिक को, पूर्वतर नियुक्ति प्राधिकारी के कार्यालय के लिए ऐसी सेवावधि के पूर्ण होने से पूर्व, बिना कोई कारण दिये, निर्मुक्त (Relieve) करने का अधिकार होगा।
2. नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा, मॉडल विद्यालयों में चयन के पश्चात् पदस्थापित किये गये समस्त कार्मिकों के प्रदर्शन का वार्षिक पुनर्विलोकन, निदेशक द्वारा समय–समय पर विनिर्दिष्ट रीति और प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा।
3. जैसे ही, मॉडल विद्यालयों में चयन के पश्चात् पदस्थापित कार्मिक को मूल संवर्ग में किसी उच्चतर पद पर पदोन्नत किया जाता है, उसे पदोन्नति पर पदस्थापन के लिए प्रतिवर्तित समझा जायेगा। मॉडल विद्यालयों में पदस्थापन के लिए वांछनीय अर्हताएं रखने की दशा में, नियुक्ति प्राधिकारी पदोन्नत कार्मिक का किसी भी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में रिक्तियों और अत्यावश्यकता के अनुसार पदस्थापन पर प्रतिधारण (Retention) का विनिश्चय कर सकेगा।
4. मॉडल विद्यालयों हेतु चयनित कार्मिक को उसके पद/विषय के अनुसार सम्पूर्ण राज्य के किसी भी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में पदस्थापित/स्थानान्तरित किया जा सकेगा। संबंधित अभ्यर्थी की वास्तविक वरिष्ठता, पदस्थापन में उक्त परिवर्तन से अप्रभावित रहेगी।
5. ऐसे पदों पर कार्यरत कार्मिकों के मामले में जिसकी वरिष्ठता वहां अन्य रेंज/जिले के अधिकार क्षेत्र के मॉडल विद्यालयों में चयन के पश्चात् भी रेंज/जिला स्तर पर ही बनी हुई है सम्बन्धित अभ्यर्थी की वरिष्ठता उसके मूल रेंज/जिले में संरक्षित की जायेगी और वे अग्रिम पदोन्नति के लिए मूल रेंज/जिले में धारणधिकार का हकदार होंगे।

6. ऐसे पदों के मामले में जहां वरिष्ठता रेंज/जिला स्तर पर संधारित है और परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी/परिवीक्षाधीन व्यक्ति मॉडल विद्यालयों में चयन के पश्चात् अन्य रेंज/जिले में पदस्थापित हैं वहां परिवीक्षाकाल के सफलतापूर्वक समाप्त होने के पश्चात् स्थायीकरण, उस मूल रेंज/जिले, जहां मॉडल विद्यालयों में पदस्थापित होने से पूर्व उसकी वरिष्ठता संधारित है, के पूर्व नियुक्ति प्राधिकारी के द्वारा किया जायेगा। ऐसे कार्मिकों को हिन्दी माध्यम विद्यालय में प्रतिवर्तन के उपरान्त पदस्थापन के लिए पूर्व नियुक्ति प्राधिकारी को सुपुर्द किया जाएगा।

7. राजस्थान स्वैच्छिक ग्रामीण सेवा नियम, 2010 के पदधारी नगरीय/निगम क्षेत्रों में पदस्थापन के लिए पात्र नहीं होंगे।

8. काउंसलिंग के समय आवेदनकर्त्ता कार्मिक को निम्नानुसार लिखित सहमति देनी होगी :–

<u>सहमति पत्र</u>

मेरे द्वारा राजस्थान सिविल सेवा (अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में कार्मिकों की नियुक्ति के लिए विशेष चयन और सेवा की विशेष शर्तें) नियम, 2023 का अवलोकन कर लिया है, यदि मेरा चयन स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल विद्यालय में नियुक्ति हेतु कर लिया जाता है तो मैं **"आवेदन की शर्तें व दिशा–निर्देश"** एवं **"सेवा की अन्य शर्तें"** मानने हेतु अपनी सहमति प्रदान करती/करता हूँ।

(सीताराम जाट)
आई.ए.एस.
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर एवं पदेन
अति.राज्य परि. निदेशक(वरिष्ठ)
समग्र शिक्षा अभियान(समसा)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1- विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2- निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3- निजी सचिव, राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
4- निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा एवं पंचायतीराज (प्राशि) विभाग, राजस्थान, बीकानेर।
5- शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
6- वरिष्ठ निदेशक (आई.टी.), राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (एनआईसी), शिक्षा संकुल, जयपुर।
7- पंजीयक, शिक्षा विभागीय परीक्षाऐं, राजस्थान, बीकानेर।
8- संयुक्त निदेशक (कार्मिक)/संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण), कार्यालय हाजा।
9- **समस्त** संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा/मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी (मु.), माशि. व प्राशि/अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा/मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी/पीईईओ/यूसीईईओ/संस्था प्रधान।
10- उप निदेशक (शाला दर्पण प्रकोष्ठ), राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, शिक्षा संकुल, जयपुर को पत्र प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि ऑनलाईन आवेदन पत्र हेतु उपरोक्तानुसार आगामी कार्यवाही सम्पादित करावें।
11- सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
12- सहायक निदेशक, शाला दर्पण प्रकोष्ठ/संस्थापन–एबी/संस्थापन–सी/संस्थापन–एफ/सामान्य प्रशासन अनुभाग, कार्यालय हाजा।
13- रक्षित पत्रावली।

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर एवं पदेन
अति.राज्य परि. निदेशक(वरिष्ठ)
समग्र शिक्षा अभियान(समसा)

Document certified by SITA RAM JAT <CATORIJ599@REGAPTS.COM>.
Digitally Signed by SITA RAM JAT
Designation : Director
Date :08-01-2026 02:38:57

RajKaj Ref No.: 19801940
eSign DSC